5/6/25

वकील प्रार्थीगण तथा अधिवक्ता अप्रार्थीगण अनुपस्थित आवाजें लगाई गई उपस्थित नहीं है केस अप्रार्थीगण भी अनुपस्थित है। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई वकील प्रार्थीगण प्रकरण में पारित T.I. क्रमांक 30/STM को खारिज करने हेतु निवेदन किया पत्रावली का अवलोकन किया जवाब अप्रार्थीगण पूर्व में बंद हो गया है अप्रार्थीगण की ओर से प्रत्येक पक्ष के विरोध में कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं हुआ है न ही अप्रार्थीगण अथवा अधिवक्ता उपस्थित है ऐसी स्थिति में प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष द्वारा कोई विरोध प्रस्तुत नहीं किए जाने के फलस्वरूप प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित है

अतः प्रत्येक पक्ष स्वीकार कर प्रकरण में पारित T.I. क्रमांक 30/STM को मूल पक्ष के निर्वाह तक कायम किया जाता है

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसले की प्रति मूल पक्ष के साथ संलग्न रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:42:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर